



क्रमांक: एफ4 ()आकाशि /नि.सं./ ५५०

दिनांक :- ११.५.२०२२

समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
(निजी महाविद्यालय की NOC के संबंध में नोडल अधिकारी)
राजस्थान।

विषय:- सत्र 2022–23 के लिए निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण बाबत।

संदर्भ:- विभागीय आदेश क्रमांक 889 दिनांक 28–04–2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश की बिन्दु संख्या 13 (ब) के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों को विश्वविद्यालय परीक्षा के संदर्भ में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् किया जाना सुनिश्चित करें।

संस्था में शैक्षणिक गुणवत्ता हेतु आवश्यक मानदण्डों (यूजीसी योग्यताधारी स्टाफ, छात्र उपस्थिति, स्टाफ उपस्थिति, पेयजल, छात्र/छात्रा सुविधाएं आदि) पर विशेष ध्यान देते हुए निरीक्षण सुनिश्चित किया जावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

अल्पना व्यास

(डॉ अल्पना व्यास)
संयुक्त निदेशक(नि.सं.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री (उच्च शिक्षा) राजस्थान सरकार को उनकी
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त
6. प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ, राजस्थान।
7. समस्त संस्था सचिव, निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
8. वेब प्रभारी आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

अल्पना व्यास

संयुक्त निदेशक(नि.सं.)